कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल** के माह 09/2013 से 04/2015 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन सर्व श्री विभाष चंद्र मुखर्जी, एवं प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 02-05-2015 से 09-05-2015 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण आख्या **जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-एक

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार ध्यानी एवं श्री रवीद्र कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 31-10-2013 से 12-11-2013 तक में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2007 से 09/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान में माह 09/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा।

1- श्री रामेश्वर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी (विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक)

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	08/2007-08	-	07
2.	44/2013-14	-	01

(स) सतत् अनियमिततायेः शून्य।

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

6. बजटः

1- राज्य सैक्टर और जिला सैक्टर

(धनराशि ` में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनोत्तर	
	आवंटन	व्यय	आंवटन	व्यय
2013-14 (09/13-03/14)	5185337	5185337	395984510	395984510
2014-15	7566340	7566340	629663853	629663853
2015-16	7566340	4380757	522535009	522535009
कुल योग	**20318017**	**17132434**	**1548183372**	**1548183372**

2- एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰/एम॰आई॰डी॰एच॰

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	318.79	256.17
2014-15	224.98	176.126
2015-16	173.59	274.147
कुल योग	**717.36**	**706.443**

3- राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन॰एम॰एम॰आई॰)

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14 (09/13-03/14)	14.29	14.29
2014-15	34.76	34.76
2015-16	33.00	33.00
कुल योग	**82.05**	**82.05**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1:- बागवानी मिशन (एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰) की विषयक लेखा परीक्षा (Thematic Audit) के अंतर्गत (2013-14 से 2015-16) लेखा परीक्षा प्रेक्षण/पायी गयी अनियमितता/अनियमित वित्तीय सहायता ` 10.93 लाख।

1- संरक्षित खेती:

विभागीय प्रावधानों के अनुसार पोली हाउस के निर्माण के समय कृषक, फ़र्म, एवं विभाग के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार किया जाना था जिससे विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि फ़र्म द्वारा (i)- पोली हाउस के निर्माण से लेकर एक वर्ष तक मुफ्त मरम्मत की वारंटी एवं (ii)- कृषको को परिचालन, मरम्मत एवं पैदावार का तकनीकी ज्ञान प्रदान करने किया जाए। पोली हाउस के निर्माण पर लागत मूल्य[1] की 50% आर्थिक सहायता मात्र उन कृषको को प्रदान किया जाना था जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया गया कि,

- पोली हाउस के निर्माण मे त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था। उक्त का अनुपालन न किए जाने के कारण विभाग द्वारा पोली हाउस के निर्माण एवं संचालन को प्रभावी ढंग से लागू करने मे असमर्थ रहें साथ ही शासकीय कार्यो मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव रहा। निदेशक, बागवानी मिशन के द्वारा National Committee on Plasticulture applications in Agriculture and Horticulture (NCPAH) के तकनीकी विशिष्टीओ के अनुरूप किसी भी पोली हाउस के निर्माण के समय न तो विभाग के द्वारा और न ही फ़र्म द्वारा पोली हाउस हेतु निर्धारित गुणवत्ता मानको की जांच की गयी।
- अभिलेखो की जांच मे पाया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 01 कृषक को कृषि भूमि पर स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना ही पोली हाउस पर कुल ` 6.78 लाख की राज सहायता प्रदान की गयी। विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया, निदेशक बागवानी मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, संबन्धित प्रकरणो मे कार्यवाही की जाएगी।

<u>पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता</u>

HMNEH/MIDH scheme एवं निदेशक, बागवानी मिशन के दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे लाभार्थी जो HMNEH scheme के अंतर्गत पॉली हाउस का निर्माण कराया हो, को केवल एक बार, पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन के लिए planting material एवं cultivation कार्य हेतु व्यय किए गए धनराशि का 50 *प्रतिशत* राशि, वित्तीय सहायता के रूप मे प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जि उ अ नैनीताल द्वारा चार लाभार्थी को लिलियम पुष्प कि खेती हेतु निर्धारित मानक ` 426 प्रति वर्ग मी0 के स्थान पर ` 700 प्रति वर्ग मी0 की दर से ` 10.26 लाख भुगतान किया गया जबकि मानक अनुसार ` 6.39[2] लाख का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था, इसप्रकार मानक से अधिक दर पर भुगतान कर ` 3.87 लाख का अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जि उ अ द्वारा उत्तर दिया गया कि, निदेशक बागवानी मिशन से स्वीकृति के अनुसार भुगतान किया गया। जि उ अ का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों को मानक के

[1] (a) Up to ` 1060/Sqm (for Area up to 500/Sqm), (b) ` 935/sqm (for area from 501 to 1008 Sqm), (c) ` 890 (for Area from 1009 to 2080 Sqm) and (d) ` 844/sqm (for area from 2081 to 4000/Sqm) since 2014-15 prior to it was ` 935 per sqm.

[2] चारो लाभार्थियों को कुल 3000 वर्ग मी0 के लिए "पॉली हाउस के अंदर पुष्प एवं सब्जी उत्पादन" के लिए 3000 * 213 (` 426 का 50%) = ` 6,39,000 का वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी, जबकि उन्हे ` 10,25,500 का भुगतान किया गया। इस प्रकार ` 3,86,500 का अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अनुसार ही वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। निदेशक बागवानी मिशन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये इसे टंकण त्रुटि का कारण बताया गया।

2- जलस्रोतों का सृजन:

बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों मे सिचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ट्यूब-वेलो के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान है। MIDH के Operational Guideline के अनुसार ट्यूब-वेलो के निर्माण के लिए Cost Norms `1.50 लाख (plain areas), ` 1.80 लाख (hilly area) निर्धारित की गयी है, उक्त के सापेक्ष 50% राशि की केंद्रीय राज सहायता (Subsidy) का प्रावधान हैं। उक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी क्रमशः `25000.00 तथा `10000.00 की राजसहायता प्रदान की जाती हैं। विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत ट्यूब-वेलो के निर्माण पर आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन राजसहायता का भुगतान किया जाता हैं।

i. स्थापित किए गए ट्यूब-वेल का मूल निर्माणकर्ता एजेंसी का बिल दो प्रतियों के साथ भुगतान की गयी धनराशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किया जाना था जिस पर ट्यूब-वेल निर्माण का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जाना था।

ii. शपथ पत्र कि स्थापित किए गए ट्यूब-वेल पर किसी अन्य विभाग/संस्था से अनुदान नहीं लिया गया तथा पूर्व मे ट्यूब-वेल स्थापित नहीं है।

iii. स्थापित किए ट्यूब-वेल के साथ प्रार्थी के दो फोटो ग्राफ भी संलग्न किया जाना है जिसमे से एक फोटो खुदाई के समय की भी होना चाहिए।

iv. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला योजना समिति द्वारा कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र एवं तकनीकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता/अपर सहायक अभियंता के द्वारा कार्य की एम॰ बी॰ किए जाने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिए।

जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया कि, मिशन के अंतर्गत श्री भोपाल सिंह S/o श्री बची राम ग्राम - गौतम नगर एवं श्री बहादुर राम S/o श्री नैन राम ग्राम - गौतम नगर के ट्यूब-वेल के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। दोनों लाभार्थियो को मिशन के अंतर्गत `750000/- की राजसहायता तथा राज्य की ओर से `25000/- की राज सहायता प्रदान की गयी। उक्त दोनों प्रकरणो मे ट्यूब-वेल के निर्माण से संबन्धित फोटोग्राफ (प्रतिलिपि संलग्न) जोकि भुगतान से संबन्धित देयकों भी संलग्न है के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त दोनों प्रकरणो मे फोटो ग्राफ लगभग एक जैसी है उक्त फोटोग्राफ मे लाभार्थी तो भिन्न है किन्तु ट्यूब-वेल का निर्माण स्थल एक ही है। अर्थात दोनों लाभार्थियो/एक लाभार्थी द्वारा एक ही ट्यूब–वेल की फोटो संलग्न कर पृथक-पृथक राजसहायता प्राप्त की गई हैं।

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया कि श्री बहादुर राम द्वारा, स्थापित किए गए ट्यूब-वेल का मूल निर्माणकर्ता एजेंसी का बिल के स्थान पर संबन्धित उपकरण का क्रय **Sudha Hardware & Paint Store Udham Singh Nagar (Deals in- Hardware, Paints, Snowcem, Iron & Cement)** से तथा लौरिंग कार्य, compressor मशीन से बोरिंग विकास, लोवेरिंग केसिंग, पाइप निकासी व सामाग्री ढुलान कार्य व श्रमिक व्यय से संबन्धित कार्य कृपाल सिंह बिष्ट **(Govt civil contractor & supplier) Ramnagar** से दिखा कर राजसहायता प्राप्त की गयी थी।

इस प्रकार विभागीय मानको के विरुद्ध देयक प्रस्तुत कर लाभार्थी के द्वारा `1.00 लाख (` 0.75लाख -मिशन +` 0.25-लाख राज्य सरकार) की अनियमित सहायता प्राप्त की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, प्रकरण की जांच की जाएगी।

3- बागवानी मे यान्त्रिकी:

जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) में पाया कि, विभाग द्वारा श्री दीवान सिंह बिष्ट S/o श्री राम पाल सिंह को बागवानी मिशन के अंतर्गत फल पौधो मे कीटनाशक छिड़काव हेतु Power Sprayer हेतु भी आवेदन किया था जिसे विभाग द्वारा क्रय करने की स्वीकृति (12/2015) प्रदान की गयी। कृषक द्वारा Power

Sprayer के स्थान पर ट्री प्रूनर क्रय कर 50% राज-सहायता(Subsidy) हेतु देयक विभाग मे प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा स्वीकृति (Power Sprayer) का संज्ञान न रखते हुए संबन्धित कृषक को ट्री प्रूनर के क्रय पर राज-सहायता (Subsidy) ` 28000.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार कृषक को ` 28000.00 की अनियमित आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, लाभार्थी को Self-propelled horticulture machinery के अंतर्गत भुगतान किया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा लाभार्थी को उसके आवेदन के अनुसार पावर स्प्रेयर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी अतः तदनुसार ही सहायता का भुगतान किया जाना चाहिए।

भाग II (ब)

प्रस्तर-2: संदिग्ध दोहरा भुगतान ` 15000.00

Financial rules as well as Budget Manual of Uttarakhand provide that every government servant should exercise the same vigilance and care in respect of expenditure from public moneys under his control as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. The DDO is responsible for ensuring that the vouchers are prepared according to the rules.

जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल द्वारा ही उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (कुमाऊँ मण्डल) नैनीताल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (मई 2016) मे पाया कि, राजभवन नैनीताल के लिए जैविक खाद "***Lapro Nitrogenous***" (मात्रा - 20 Bag) का क्रय, उपनिदेशक के स्वीकृति पत्रांक : 219/ दिनांक 20-02-2016 के सापेक्ष M/S APAR AGROTECH MEERUT (फ़र्म) से ` 15000.00 (20X ` 750.00) का किया गया। उक्त आपूर्ति के सापेक्ष फ़र्म द्वारा बिल संख्या - शून्य दिनांक 05-03-2016 के द्वारा ` 15000.00 का देयक प्रस्तुत किया गया। विभाग के द्वारा एक ही देयक (Bill) के सापेक्ष संबन्धित फ़र्म को कुल ` 30000.00 का भुगतान किया गया हैं। आगे की जांच मे पाया कि विभाग के द्वारा दिनांक 05-03-2016 से संबंधित बिल की फोटो-कॉपी करके पृथक-पृथक बिल पास करने संबंधी कार्यवाही की गयी थे किन्तु, भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से एकमुश्त ` 30000.00 किया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि, उक्त आपूर्तिकर्ता फ़र्म विभाग द्वारा जारी पंजीकृत फर्मो की सूची मे भी शामिल नहीं है साथ ही विभाग द्वारा क्रय से संबन्धित बिल, बिना बिल संख्या के स्वीकार कर भुगतान की कार्यवाही की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि, त्रुटिवश एक बिल की छाया प्रति दो बार लगी है। ` 30,000.00 का भुगतान दो पृथक-पृथक आदेशो से संबन्धित है जिससे संबन्धित भंडार रशीदे भी पृथक है तथा D-42 मे पृथक-पृथक अंकित हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि भुगतान दो पृथक-पृथक आदेशो से संबन्धित है तो संबन्धित देयक (Bill) भी पृथक होने चाहिए। विभाग द्वारा पृथक आदेश के सापेक्ष क्रय से संबन्धित देयक (Bill) लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः ` 15000.00 का संदिग्ध दोहरे भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1- ` 32.22 लाख की वसूली का लंबित रहना।

जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल द्वारा विभिन्न संस्थाओ को राजकीय पौधशाला से फल पौध, सब्जी पौध सब्जी बीज एवं रसायनों इत्यादि की आपूर्ति की जाती है तथा आपूर्ति किए गए सामग्री के सापेक्ष जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल द्वारा वसूली की जानी अपेक्षित थी।

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल के अभिलिखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार लेखाशीर्ष-4401 फसल कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत ` 73438.39 तथा लेखाशीर्ष-401 फसल कृषि कर्म के अंतर्गत ` 3149038.78 लाख कुल ` 3222477.17 विगत कई वर्षों से अवशेष पड़ी थी। जिसमे से ` 1524183.30 कि लंबित वसूली पिछले दो वर्षो का है।

	वर्ष	विभागीय	बाहरी संस्था	व्यक्तिगत नाम से	योग
लेखाशीर्ष के 4401 सापेक्ष	2013-14	47129.48	2756.82	19719.09	69605.39
	2015-16	48434.23	5285.07	19719.09	73438.39
लेखाशीर्ष के 401 सापेक्ष	2013-14	1628688.48	0	0	1628688.48
	2015-16	3149038.78	0	0	3149038.78

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि विभाग द्वारा लगातार संबन्धित विभागो से पत्राचार किया जा रहा है इसके बावजूद विभागो द्वारा बिलो का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वसूलिया पिछले कई वर्षो से लंबित पड़ी हुई थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाएगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रेषित को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक-II